



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0791-2612084/265635-7 Fax 0791-2612084

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/ 1380.

दिनांक:- 06/10/2023

-:कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.10.2023 को उपयुक्त (जोन-03) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई, बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 14.09.2023 जोन 03 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।
एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 775/81 रकबा 6178.99 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

- प्ररनगत भूमि में सरकारी भूमि पार्क, मन्दिर इत्यादि की भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- आवेदित भूमि के आस पास के कमिटेमेंट एवं स्वामित्व संबंधी सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्ररनगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और न ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- ले-आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे, मौके पर कम होने स्थिति में दोनों साईड से बराबर-बराबर काटी जावे।
- प्रकरण में आवश्यक देय शुल्क इत्यादि वसूल की जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावेगी।
- योजना में मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल प्लान कि 100 फीट सडक एवं अंकित हरित पट्टी दर्शाते हुए एवं मध्य में स्थित सडको को 30 फीट करते हुए उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालना के उपरान्त ही ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 272 का कार्यालय यू.आई.टी जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार भूखण्ड संख्या 126/ए में से भूखण्ड संख्या 126/ए/1 बनाप 1043.60 व भूखण्ड संख्या 126/ए का मुल का भाग बनाप 1037.60 वर्गगज उपविभाजन करने बाबत।

निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त मूल सेटबेक को यथावत रखते हुए अन्य सेटबेक प्रचलित विनियमों अनुसार लगाकर उपविभाजन किए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त मौके पर निर्माण नियमन/स्वीकृती नहीं है।

- उक्त मौके पर निर्माण नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्ररनगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किये जाने तथा आवेदकों से मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से उपविभाजित भूखण्डों के नवीन पट्टा विलेख जारी किए जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 186/3 का कार्यालय जोविप्रा द्वारा जारी पट्टा अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आवासीय एकल भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 2450.12 वर्गगज में से भूखण्ड/खसरा संख्या 186/3 का उत्तरी भाग बनाप 1225.06 वर्गगज एवं 186/3 का दक्षिणी भाग बनाप 1225.06 वर्गगज का उपविभाजन करने बाबत।

निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त मूल सेटबेक को यथावत रखते हुए अन्य सेटबेक प्रचलित विनियमों अनुसार लगाकर उपविभाजन किए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त मौके पर निर्माण नियमन/स्वीकृती नहीं है।

- उक्त मौके पर निर्माण नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्ररनगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किये जाने तथा आवेदकों से मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से उपविभाजित भूखण्डों के नवीन पट्टा विलेख जारी किए जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 660/55, 55/3 रकबा 12790.55 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों पर ले-आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

- प्ररनगत भूमि में सरकारी भूमि, पार्क, मन्दिर इत्यादि की भूमि सम्मिलित नहीं हो सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- आवेदित भूमि के आस पास के कमिटेमेंट, स्वामित्व संबंधी सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।

सहायक नगर निर्याजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर

उपायुक्त (जोन 3)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और न ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे, मौके पर कम होने स्थिति में दोनों साईड से बराबर-बराबर काटी जावे।
- प्रकरण में आवश्यक देय शुल्क इत्यादि वसूल की जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावेगी।
- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित योजना मानचित्र में मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल प्लान की 18 मीटर सड़क दर्शाते हुए एवं योजना के मध्य स्थित सड़क को 30 फीट करते हुए उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालना के उपरान्त ही ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
06.	राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 56/2 क्षेत्रफल 74624.032 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान में जोनल डवलपमेंट प्लान की सड़क के अनुसार संशोधन बाबत।

निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त पूर्व में स्वीकृत ले-प्लान में मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान की सड़क दर्शाते हुए ले-आउट प्लान को यथावत रखते हुए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया साथ ही प्रकरण में आवश्यक देय शुल्क, संशोधन शुल्क इत्यादि वसूल की जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावेगी।

एजेण्डा संख्या	विषय
07.	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 142, 142/1, 142/2 रकबा 26461.00 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में जोनल डवलपमेंट प्लान की सड़को को दर्शाते हुए संशोधित सर्वे प्लान प्राप्त किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
08.	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 177, 176 रकबा 53086.07 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में जोनल डवलपमेंट प्लान की सड़को को दर्शाते हुए संशोधित सर्वे प्लान प्राप्त किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
09.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 80, 80/1, 80/2, 80/3, 82/1 में भूखण्ड संख्या के संशोधन बाबत।

निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित ले-आउट प्लान में भूखण्ड संख्या 13 के स्थान पर 12/ए अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. भूखण्ड संख्या 13 के स्वामित्व, बैचाननामा इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर कि जावेगी।
2. भूखण्ड संख्या 13 के अडोस पडोस के भूखण्ड अर्थात भूखण्ड संख्या 12, 14, एवं 8 के पडोस की शुद्धी की जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावेगी।
3. आवेदक से भूखण्ड संख्या 13 का मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने के उपरान्त ही जोन स्तर से नवीन पट्टा विलेख जारी किए जावे।
4. प्रकरण में आवश्यक देय शुल्क वसूल की जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावेगी।

तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	अधिशायी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष (जोन-03) जोधपुर विकास प्राधिकरण
------------------------------------	--	--	--

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त (जोन-03) जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर

जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण

1781-1786

06/10/2023

जोधपुर